

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़**  
**पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या/583/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

**उनवान**

1. गोदूनाथ उर्फ गोवर्धन नाथ पिता सवाईराम नाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. लेहरी बाई विधवा सवाईराम नाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. जगदीश चन्द्र पिता देवकिशन जाति उपाध्याय आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. अंकित पिता सायरनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन हाल मुकाम सुरजपोल के अन्दर जोगीवाड़ा म.नं. 100 उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3. भुमीज पिता सायरनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम सुरजपोल के अन्दर जोगीवाड़ा म.नं. 100 उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4. अर्पीता उर्फ अर्पीत पिता सायरनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन हाल मुकाम सुरजपोल के अन्दर जोगीवाड़ा म.नं. 100 उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
5. प्रेमलता विधवा सायरनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम सुरजपोल के अन्दर जोगीवाड़ा म.नं. 100 उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
6. वर्षिका पिता सायरनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम सुरजपोल के अन्दर जोगीवाड़ा म.नं. 100 उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
7. कमला पत्नि रतननाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. महेन्द्रनाथ पिता रतननाथ जाति नाथ आयु नाबालिग बविलायत माता कमलाबाई विधवा रतन नाथ निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मोहननाथ पिता रतन नाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. अंजली पिता रतननाथ जाति नाथ आयु नाबालिग बविलायत माता मु० कमला विधवा रतननाथ निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. नारू नाथ पिता फुलनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. प्रेमबाई पिता फुलनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम पति भगवान नाथ जाति नाथ निवासी अडाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
13. मु० भैरी पिता फुलनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम पति जगदीश नाथ निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुल्लिया

-वादी



**-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-**

**निर्णय दिनांक: 30.04.2026**

**-:निर्णय:-**

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा दोवनी तहसील कपासन में स्थित आराजी नं. 822, 823, 824 कुल किता 3 कुल रकबा 0.07 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजियात जैरबहस में वादी संख्या 1 का 1/9

**सहायक कलक्टर**  
**(फास्ट-ट्रेक), कपासन**

हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिता देवकिशन का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 6 तक का प्रत्येक का 1/45 हिस्सा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 से लगायत 10 तक के प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 11 से लगायत 13 तक आराजियात जैरबहस में 1/12 हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रार्थना है कि पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण विभाजन आराजियात की डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावें कि वादपत्र वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 व 2 को 1/9 हिस्सा का विभाजन करा कब्जा दिलाया जाकर अलग जमाबन्दी में नक्शा ट्रेस कायम किया जावें इसी अनुसार प्रतिवादीगण को भी उनके हिस्से अनुसार अलग अलग विभाजन करा अलग अलग कब्जा दिलायी जाकर इसी अनुसार जमाबन्दी में नक्शा ट्रेस कायम किया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 15.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 15.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 से प्रस्तुत की गई। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 30.04.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा दोवनी तहसील कपासन में स्थित आराजी नं. 822, 823, 824 कुल किता 3 कुल रकबा 0.07 हेक्टर स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. जगदीश पुत्र देवकिशन उपाध्याय सा० देह खातेदार

क्र.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	824/1	0.0233	बारानी 3
योग	कुल किता-01	0.0233	

2. गोदुनाथ पुत्र सवाईनाथ हिस्सा 1/3, लेहरीबाई पत्नी सवाईनाथ हिस्सा 1/3 सा० देह खातेदार, अंकित पुत्र सायरनाथ हिस्सा 1/15, अर्पिता पुत्री सायरनाथ हिस्सा 1/15, प्रेमलता पत्नी सायरनाथ हिस्सा 1/15, नाबालिग भूमिज पुत्री सायरनाथ संरक्षक माता प्रेमलता हिस्सा 1/15 नाबालिग वर्षिका पुत्री सायरनाथ संरक्षक माता प्रेमलता हिस्सा 1/15 नाथ सा० देह खातेदार

क्र.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	824/2	0.0167	बारानी 3
2	823/1	0.0066	बारानी 3
योग	कुल किता-02	0.0233	

3. नारुनाथ पुत्र फुलनाथ हिस्सा 1/4, प्रेमबाई पुत्री फुलनाथ हिस्सा 1/4, भेरीबाई पुत्री फुलनाथ हिस्सा 1/4, कमला पत्नी रतननाथ हिस्सा 1/16, नाबालिग अंजली पुत्री रतननाथ संरक्षक माता कमला 1/16 नाबालिग महेन्द्रनाथ पुत्र रतननाथ संरक्षक माता कमला 1/16 नाबालिग सोहननाथ पुत्र रतननाथ संरक्षक माता कमला 1/16 नाथ सा० देह खातेदार

क्र.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	823/2	0.0034	बारानी 3
2	822	0.02	बारानी 3
योग	कुल किता-02	0.0234	

तदनुसार अंकन हो। रहन बवस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2026 को लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(फॉस्ट-ट्रक) कपासन